तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रा0 पत्र संख्या 103/2019 आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908** **उनवानी राजेश आदि बनाम जुगलाल आदि** GCMS 2019/00245	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.04.2022		

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है।

विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि अनावेदकगण/वादीगण ने वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 में आवेदकगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध गलत आधार पर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। अगर यह एक पक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं किये जाते है तो आवेदकगण/प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। आवेदकगण के कानूनी अधिकार प्रभावित होगें। इसलिये एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त/अपास्त किया जाना आवश्यक, न्यायोचित व न्याय संगत है। विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के अन्त में कथन किया कि वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 में आवेदकगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध गलत आधार पर पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

विद्वान योग्य अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हो जाने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार खेतड़ी से रिकार्ड एवं मौका की जांच रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण का वादीगण के पक्ष में निस्तारण किया गया है। विद्वान योग्य अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस के अन्त में कथन किया कि आवेदकगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा के खारिजे काबिल योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और दोनों पक्षों के योग्य विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् [illegible] कि वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.[illegible] व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी [illegible] में प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक[illegible] न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार खेतड़ी से रिकार्ड एवं मौका [illegible] जांच रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प हरड़िया में पारित कर तहसीलदर खेतड़ी को ग्राम हरिड़या स्थित हाल खसरा नम्बर 498 के वर्तमान सजरा नक्शे को गत नक्शे व मुताबिक मौका स्थिति दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश से किसी भी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पक्षकार की भूमि का कोई रकबा प्रभावित नहीं किया गया है केवल गत नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने का आदेश पारित किया गया है। यहां यह कहना गलत होगा कि अगर यह एक पक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं किये जाते है तो आवेदकगण/प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। आवेदकगण के कानूनी अधिकार प्रभावित होगें।

वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी जुगलाल आदि बनाम राजेश आदि में प्रतिवादीगण की नियमानुसार तलबी सम्यक रूप से हो जाने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार खेतड़ी से रिकार्ड एवं मौका की जांच रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 पारित किया गया है जो नियमानुसार सही है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी जुगलाल आदि बनाम राजेश आदि निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 के संलग्न रहें।

निर्णय आज दिनांक 11–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested